

प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक का विवरण, इसके विनियमों में उपबंधित क्षतिपूर्ति प्रणाली सहित-

(क) कार्यपालकों के वेतनमान - 01.01.2007 से लागू

स्तर (लेवेल्स)	पुनर्धित वेतनमान
E0	30,000-3%-1,20,000
E1	40,000-3%-1,40,000
E2	50,000-3%-1,60,000
E3	60,000-3%-1,80,000
E4	70,000-3%-2,00000
E5	80,000-3%-2,20,000
E6	90,000-3%-2,40,000
E7	1,00,000-3%-2,60,000
E8	1,20,000-3%-2,80,000
E9	1,50,000-3%-3,00,000

मंहगाई भत्ता(डीए) पर्क्स एवं अन्य भत्ते

- कार्यपालकों के लिए 'कैफेटेरिया एप्रोच' के तहत पर्क्स एवं अन्य भत्ते @ मूलवेतन का 35 %
- आवास लीज़/ आवास भत्ता (एचआरए)
- पीपलकोटी, मलारी झेलम, झेलम तमक और बोकांग बेलिंग में पदस्थ कर्मचारियों को विशेष भत्ता @ मूलवेतन का 8 %
- चिकित्सा अधिकारियों को नॉन प्रेक्टिस भत्ता (एनपीए) @ मूलवेतन का 20 %
- प्रदर्शन आधारित वेतन (पीआरपी)
- टेलीफोन/मोबाईल सुविधा
- वाहन प्रतिपूर्ति
- चिकित्सा सुविधा
- समूह बीमा और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा
- ग्रेच्य्टी, पेंशन, प्रोविडेंड फंड

(ख)पर्यवेक्षक और कामगार श्रेणी के वेतनमान - 01.01.2017 से प्रभावी

पर्यवेक्षक

स्तर (लेवेल्स)	वेतनमान
S1	29200119000
S2	29400119200
S3	29600119500
S4	29800119700
SG	29900119900

कामगार

स्तर (लेवेल्स)	वेतनमान
W0	20000
W1	20500
W2	21000
W3	21500
W4	22000
W5	22500
W6	23000
W7	24000
W8	25000
W9	26000
W10	27000
W11	28000
SG	29000

वेतन वृद्धि @३.०% अन्य भत्ते

- मंहगाई भत्ता
- विशेष भत्ता
- 'कैफेटेरिया एप्रोच' के तहत पर्क्स एवं अन्य भत्ते @ मूलवेतन का 35 % तक सीमित
- आवास किराया भत्ता/ कंपनी द्वारा उपलब्ध आवास
- वाहन खर्च की मासिक प्रतिपूर्ति
- मोबाईल सुविधा
- रात्रि भता
- चिकित्सा सुविधा
- समूह बीमा और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा
- ग्रेच्युटी, पेंशन, प्रोविडेंड फंड
- लघु/ दीर्घ अवधि के लिए अग्रिम
- अवकाश/ अवकाश का नकदीकरण
- प्रोत्साहन राशि/ पीआरपी आदि